सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-24(P-II) / 2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

- 4 MAY 2022

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : अप्रैल, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं0–1554 व 1557, दिनांक 16.08.2019 तथा पत्र सं0–1065 व 1066, दिनांक 07.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, 10 न्यू रोड़, देहरादून	**एम0बी0ए0**	60	2019–20 एवं 2020–21
	एम0सी0ए0	60	

"विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन होने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 का संज्ञान रखते हुए यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता आदेश निर्गत करे व तद्नुरूप कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय को प्रेषित करे।"

3. अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– 417 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-24(P-II) / 2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।